29/7/21 30/7/21 30/7/21 31/7/21

# भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

## मिसकेस संख्या –08/2021–22

23/7/21 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र अंचलाधिकारी मानगो के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें विद्यमान हैः–

1. विक्रेता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है।
2. विक्रेता और क्रेता दोनों ही अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न)
3. क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही थाना के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि इसी थाने के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र अभिलेख के साथ संलग्न है)
4. प्रस्तावित अन्तरण के विरूद्व कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तुक (क) के अन्तर्गत विक्रेता :– **गोमेया सुन्डी, पिता सुरजा सुन्डी, जाति– हो, ग्राम– संकोसाई रोड़ नं0–5, अंचल–मानगो, थाना– उलीडीह, जिला– पूर्वी सिंहभूम** को मूल्य – **15,00,000/–रूपये** या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है, की दर से क्रेता :– **गायत्री सिंह भूमिज, पति– विजय सिंह भूमिज, जाति –भुमिज, ग्राम– गुड़रूबासा, संकोसाई, अंचल– मानगो, थाना– उलीडीह, जिला– पूर्वी सिंहभूम** के नाम बिक्री हेतु निम्नांकित जमीन,

| मौजा | वार्ड सं0 | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकवा | |
|---|---|---|---|---|---|
| अ0क्षे0 मानगो | 09 | 456 | 5028 | 4.95 डी0 | |

के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है।

लेखापित

20/7/2021

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धालभूम, जमशेदपुर।

पढ़ा एवं संशोधन किया
प्रतिमा ... 30/7/21

मूल्य दिया
... 30.7.21
तुलना लिपिक

तुलना किया
... 30.7.21
तुलना लिपिक

सच्ची प्रतिलिपि प्रमाणित
कमल कान्त ... 30.7.2021
प्रधान लिपिक
अनुमण्डलीय कार्यालय धालभूम, जमशेदपुर
धारा 76 एक्ट I ऑफ 1872 के अन्तर्गत प्राधिकृत

3/8/2021